नीति के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित विषयों के सन्दर्भ में कार्रवाई शुरू की गई है :—

(i) घरेलू और औद्योगिक तथा शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से लोगों की निजी भूमि पर फार्म वानिकी/ वृषि वानिकी को बढ़ावा देना ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार दिलाने तथा लोगों द्वारा स्थानीय तौर पर वांछित उत्तम किस्म की पौध प्रजातियां उपलब्ध कराने के लिए विकेन्द्रित जन-पौधशालाओं की स्थापना करना ।

(iii) निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों को काटने तथा उनके परिवहन पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा करने तथा उन्हें शिथिल बनाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना ।

(iv) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उडीसा तथा कर्नाटक राज्यों में वृक्ष उगाने वालों की सहकारितायें तथा फार्म वानिकी सहकारितायें स्थापित करना ।

(v) निजी भूमि पर नवीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने के लिए संस्थागत ऋण सुलभ करना ।

(vi) वनीकरण और परती भूमि विकास के राष्ट्रीय प्रयास में जन-सहभागिता प्राप्त करने हेतु कार्यतंत्र तैयार किए जाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कोष (जिसमें दिए अंशदान में कर राहत की सुविधा मिलती है) की स्थापना करना ।

(vii) जिन अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा तथा विकास के लिए ग्रामीण समुदाय सहमत हों उनसे प्राप्त उपज में उन्हें हिस्सेदार बनाना ।

(viii) निजी और सार्वजनिक भूमि पर वनीकरण और परती भूमि विकास कार्य कलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियो का वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(ग) लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से मुख्यतः ईंधन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी, फल तथा लघु वनोपज प्रदान करने वाली प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है ।

देश में मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या

291. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं ;

(ख) क्या मुक्त विश्वविद्यालयों और सामान्य विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों के बीच कोई अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो यह अंतर क्या है ; और

(घ) इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली की अब तक क्या उपलब्धि रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय 5 मुक्त विश्वविद्यालय हैं, अर्थात् :

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।

(2) आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।

(3) कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा ।

(4) यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक ।

(5) नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना ।

(ख) और (ग) मुक्त विश्वविद्यालयों तथा सामान्य/रूढ़िगत विश्वविद्यालयों में मुख्य अंतर, जो उनके कार्यकलापों में प्रतिबिम्बित हैं, निम्नलिखित हैं :—

(i) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रवेश के लिए पिछली शैक्षिक योग्यताओं

तथा आयु के संबंध में कठोर प्रवेश आवश्यकताओं पर बल नहीं दिया जाता, जैसा कि सामान्य/रूढ़िगत विश्वविद्यालय प्रणाली में है ।

(ii) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में एक विद्यार्थी अपना अध्ययन का पाठ्यक्रम अपनी स्वयं की गति तथा सुविधा के अनुसार पूरा कर सकता है जबकि रूढ़िगत प्रणाली में पाठ्यक्रम निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही पूरा किया जाता है ।

(iii) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में सीखने वालों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों में से पाठ्यक्रमों के सम्मिश्रण के चयन में लचीलापन होता है, जबकि रूढ़िगत प्रणाली में कार्यक्रमों की विषय-वस्तु तथा ढांचा पूर्वनिर्धारित होता है ।

(iv) मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति में स्वयं: निर्देश शिक्षण पैकेज के विकास के लिए बहु-माध्यम तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें मुद्रित सामग्री श्रवण तथा दृश्य टेप्स शामिल हैं । प्रसारण भी छात्र समर्थन सेवा का एक अभिन्न अंग है । दूसरी तरफ, रूढ़िगत विश्वविद्यालय अधिकतर मुद्रित सामग्री तथा कक्षा शिक्षण पर अधिक निर्भर होते हैं ।

(घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो संसद के एक अधिनियम द्वारा खोला गया था, ने 14 शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे : बी०ए०, बी०काम, प्रबंध में डिप्लोमा, पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री, एम०बी०ए० इत्यादि । इ०गां०रा०मु०वि० ने विज्ञान में स्नातक डिग्री, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा तथा उच्च शिक्षा में डिप्लोमा के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं । 1987 में 4521 छात्रों के नामांकन से आरम्भ करके इ०गां०रा०मु० वि० का कुल नामांकन 112192 तक बढ़ चुका है । विश्वविद्यालय की प्रवेश योग्यताओं में रियायत से बिना औपचारिक योग्यताओं वाले लगभग 25000 छात्रों को स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकन दिया गया है । नामांकित छात्रों में से लगभग 70% क्षात्र 25 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रौढ हैं ।

विश्वविद्यालय ने छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 16 क्षेत्रीय केन्द्र तथा 171 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है । जो देश के सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में स्थित हैं । 20 मई, 1991 से विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का आधे-घंटे के लिए प्रसारण प्रारंभ किया गया है (सप्ताह में तीन दिन) ।

मार्च, 1991 में, 4980 छात्र डिप्लोमा तथा डिग्रियां प्राप्त करने के पात्र हो गए हैं ।

.Units financed by IDBI pending before. BIFR

292. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the number of units financed by IDBI which are at present pending before the Board for Industrial and Financial Reconstruction for a rehabilitation package; and

(b) what is the total locked up capital of IDBI in all thsese units unit-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINNGH): (a) The Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that it has in its portfolio 102 cases where BIFR inquiries are in progress.

(b) The total loan amount outstanding in respect of these units is Rs. 398.75 crores. It is not the practice of financial institutions and banks to release information on their individual constituents in accordance with the secrecy and fidelity that is maintained in respect of their clients and as is provided by law. As such, unit-wise information cannot be divulged.